**Annexure A**

## Frequently Asked Questions

### विद्यालय गुणवत्ता आकलन एवं आश्वासन रूपरेखा

**1. विद्यालय SQAAF पोर्टल पर स्व- आकलन कब और कैसे कर सकता है?**

विद्यालय हर साल 31 दिसंबर से पहले सीबीएसई SQAAF पोर्टल पर स्व- आकलन कर सकते हैं (पोर्टल यूजर गाइड https://saras.cbse.gov.in/sqaa पर उपलब्ध है)।

**2. SQAAF पोर्टल पर स्व- आकलन की वैधता क्या है?**

विद्यालय द्वारा SQAAF पोर्टल पर किया स्व- आकलन एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यदि, संबद्धता के विस्तार के लिए आवेदन जमा करने के समय वैधता समाप्त हो गई है, तो विद्यालय को अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए SQAAF पोर्टल पर फिर से स्व- आकलन करना होगा।

**3. यदि किसी विद्यालय को मार्च 2024 के महीने में 2023 का स्कोर कार्ड मिल चुका है, लेकिन वह 2024 की संबद्धता के लिए SARAS पोर्टल नहीं भर सका है, तो क्या करना होगा?**

सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों को हर सत्र में नहीं बल्कि हर साल SQAAF पर स्व- आकलन करना है। विद्यालयों के अनुरोध पर SQAAF-2023 की तारीख 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी गई थी। 2024 के लिए, SQAAF 1 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक भरा जाना है।

**4. 2024 के लिए SQAAF पोर्टल में क्या भरना है- स्व-सुधार योजना या 2024-2025 या स्व- आकलन?**

SQAAF सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों द्वारा की जाने वाली एक वार्षिक गतिविधि है। विद्यालयों को पहले स्व- आकलन भरकर खुद का आकलन करना होगा। स्कोर के आधार पर विद्यालय अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार स्व-सुधार योजना तैयार करेगा और उसे भी पोर्टल पर भरना होगा।

स्व-सुधार योजना विद्यालयों द्वारा , स्व- आकलन के बाद प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। एक ही सत्र के लिए, विद्यालयों द्वारा दोनों भरे जाएंगे।

**5. क्या हमें पहले 2024 का स्व- आकलन भरना होगा, ऑटो जेनरेटेड स्कोरकार्ड प्राप्त करना होगा और उसके आधार पर अपना स्व-सुधार योजना बनाना होगा और बाद में 2024 में ही अपलोड करना होगा?**

हाँ।

**6. स्व-सुधार योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्र L/M/H का निर्धारण कैसे करें?**

विद्यालय को उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनमें सुधार करना है। यदि विद्यालय ने सुधार के लिए कई लक्ष्य तय किए है, तो विद्यालय को स्वयं लक्ष्य प्राप्ति के लिए किये जाने वाले कार्यों को निम्न/मध्यम/उच्च (L/M/H) के रूप में प्राथमिकता देनी होगी।

विवरण के लिए https://saras.cbse.gov.in/sqaa पर उपलब्ध SQAA फ्रेमवर्क देखें।

**7. यदि SQAAF में दिए गए कुल 84 मानकों (यानी 336 अंक) में से केवल 71 मानक (यानी 284 अंक) अपनी विशिष्ट प्रकृति और भौगोलिक स्थानों के कारण किसी विद्यालयों में लागू होते हैं, तो विद्यालय को क्या करना चाहिए?**

SQAAF को सभी CBSE संबद्ध विद्यालयों के लिए सामान्यीकृत किया गया है। यह प्रबंधन के अनुरूप नहीं है. आकलन एवं सुधार योजना विद्यालय में उपलब्ध स्थितियों/संसाधनों के आधार पर होनी चाहिए। उत्पन्न स्कोर विद्यालयों को अपने स्तर को समझने और उसके अनुसार स्व-सुधार योजना बनाने के लिए है।

**8. क्या किसी विद्यालय को स्व- आकलन के लिए SQAAF फ्रेमवर्क के अनुसार सहायक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है?**

विद्यालयों को SQAAF पोर्टल पर स्व- आकलन करते समय मानकों के अनुसार सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए नहीं कहा जाएगा। हालाँकि, विद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्तर पर सहायक दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखें। जिन विद्यालयों का विस्तार/संबद्धता आदि देय है, उन्हें भौतिक गुणवत्ता समीक्षा के लिए चुने जाने पर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।

**9. विद्यालय द्वारा किए गए स्व- आकलन की भौतिक गुणवत्ता समीक्षा क्या है?**

संबद्धता श्रेणी के विस्तार के तहत प्राप्त कुल आवेदनों में से 5% के यादृच्छिक नमूने के लिए विद्यालय द्वारा किए गए स्व- आकलन को मान्य करने के लिए सीबीएसई द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा भौतिक गुणवत्ता समीक्षा आयोजित की जाएगी। भौतिक गुणवत्ता समीक्षा के लिए यादृच्छिक रूप से चुने गए विद्यालयों को निर्देश दिए जाने पर सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे

**10. क्या विद्यालयों के स्व- आकलन या रैंकिंग का कोई खुलासा होगा?**

विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत स्व- आकलन को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। SQAAF पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ही स्व- आकलन स्कोर संबंधित विद्यालय को दिखाई देगा। यह भी बताया गया है कि विद्यालयों की कोई रैंकिंग नहीं की जाएगी। SQAAF विद्यालयों को उनकी क्षमताओं और सुधार- क्षत्रों को समझने के लिए है।

SQAAF पोर्टल पर स्व- आकलन करते समय, किसी भी प्रश्न के लिए कृपया sqaa@cbseshiksha.in पर ईमेल करें।

**11. 2024 में स्व- आकलन सुधार योजना में भरी गई समयसीमा पर आधारित है, यदि प्रस्तुत किया गया है या क्या वे असंबंधित हैं?**

स्व-सुधार योजना एक प्रकार का लक्ष्य है जो विद्यालयों द्वारा स्व- आकलन के आधार पर स्वयं के लिए निर्धारित किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और विद्यालय के पिछले प्रदर्शन और विद्यालय के विकास की आकांक्षा के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं।

Note- विद्यालय गुणवत्ता आकलन एवं आश्वासन रूपरेखा (SQAAF) नीचे दिए गए लिंक में उपलब्ध है-

**Hindi-** https://cbseacademic.nic.in/sqaa/doc/handbook_hi.pdf

**English-** https://cbseacademic.nic.in/sqaa/doc/handbook.pdf

**Annexure A**

## SCHOOL QUALITY ASSESSMENT AND ASSURANCE FRAMEWORK (SQAAF)

1. **When and how can a school undertake Assessment on SQAAF Portal?**
   The schools can undertake self-assessment against the SQAA Framework on the CBSE SQAA Portal every year before 31st December (Portal User Guide is available at https://saras.cbse.gov.in/sqaa ).

2. **What is the Validity of Self-Assessment on SQAAF Portal?**
   The self-assessment submitted by the school on the SQAAF Portal would be valid for a period of one year. In case, the validity has expired at time of submission of application for extension of affiliation, the school will have to undertake self-assessment again on the SQAAF Portal to fulfil mandatory requirements.

3. **If a school had already got the score card in 2023 in the month of March 2024 but couldn't not fill SARAS portal for affiliation for 2024, what is to be done?**

   The schools affiliated to CBSE need to undertake assessment on SQAAF every year and not every session. The date for the SQAAF-2023 was extended to 31 March,2024 on the request of the schools. For 2024, the SQAAF is to be filled from 1 April, 2024 till 31 Dec., 2024

4. **What is to be filled in SQAAF Portal for 2024- Self Improvement Plan or 2024-2025 or Self-Assessment?**

   SQAAF is a yearly activity to be undertaken by the schools affiliated to the CBSE. The schools need to assess themselves by filling self-assessment first. Based on the score the school will prepare a self-improvement plan as per their needs and available resources and should fill that too in the portal.
   Self-Improvement plan is for schools that will be filled after filling Self-Assessment as an improvement plan on received scores. So, for same session, both will be filled by schools.

5. **Are we supposed to fill 2024 Self-assessment first, get the auto generated scorecard and based on it make our Self Improvement Plan and upload it subsequently in 2024 only?**
   Yes.

6. **How to decide the prioritised area L/M/H in Self-improvement plan?**
   The school should prioritise the areas in which improvements have to be made first. If there are many recommendations and improvement targets to be achieved as identified by the school, then the school itself has to decide/prioritize the tasks to be achieved as low/medium/high. For details refer to SQAA Framework available in https://saras.cbse.gov.in/sqaa

7. **If out of total 84 standards (i.e. 336 points) given in the SQAA handbook, only 71 standards (i.e. 284 points) are applicable in ABCD schools due to its specific nature and geographical locations, what should the school do?**

SQAAF is generalised to all CBSE affiliated schools. It is not as per management. The assessment and improvement plan should be based on the conditions/resources available in the school. The score generated is for the schools to understand their level and plan for improvement accordingly.

8. **Does a school require Supporting Documents as per SQAA Framework for Self-Assessment to be uploaded in the portal?**
   The schools would not be asked to upload supporting documents against the standards while undertaking self-assessment on SQAAF Portal. However, the schools are advised to keep record of the supporting documents at their end.
   The schools whose extension/affiliation/upgradation etc. are due will be asked to upload the documents if selected for Physical Quality Review.

9. **What is Physical Quality Review of Self-Assessment undertaken by the school**?
   Physical Quality Review to validate the self-assessment undertaken by the school would be conducted by a Team of Experts appointed by CBSE for a random sample of 5% of the total applications received under the extension of affiliation category. The schools, selected randomly for physical quality review, will have to upload the supporting documents as and when directed

10. **If there will be any disclosure of Self-Assessment or Ranking of Schools?**
    The self-assessment submitted by the schools will not be made public. The assessment score will be visible to the concerned school only after log in into the SQAAF Portal. It is also informed that NO **ranking** of the schools will not be done. SQAAF is for the schools to understand their strengths and areas of improvement.
    For any queries w.r.t. undertaking self-assessment on SQAAF Portal, please email at sqaa@cbseshiksha.in

11. **In 2024 self-assessment is based on the timelines filled in the improvement plan, if submitted or whether they are unrelated?**
    The self-improvement plan is a kind of goal set by schools for themselves based on the assessment they have taken. It should be a continuous process and goals may be set as per the previous performance of the school and aspiration for the growth of the school.

**NOTE- The School Quality Assessment and Assurance Framework (SQAAF) is available in the links given below-**

**Hindi- https://cbseacademic.nic.in/sqaa/doc/handbook_hi.pdf**

**English- https://cbseacademic.nic.in/sqaa/doc/handbook.pdf**